

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश वर्मा (आर0ए0एस10)  
राजस्व वाद संख्या : 197 / 2025  
सीसीएमएस संख्या- 2025 / 639  
निर्णय दिनांक: 26.03.2026

सत्यप्रकाश बनाम राजस्थान सरकार

—:निर्णय:—


दिनांक: 26.03.2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह वाद-पत्र वादी सत्यप्रकाश पुत्र सागर जाति नाई निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने के से वाद पत्र की पत्रावली आधारित की गयी। राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम मींगणा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 क खाता संख्या 253 में वादी का नाम सत्यनारायण दर्ज है। जो गलत है। वादी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार सत्यप्रकाश अंकित है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

वाद पत्र के साथ शिविर प्रभारी/ तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट संलग्न है। शिविर प्रभारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सत्यनारायण दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भूअ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार वादी का नाम सत्यप्रकाश है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध

जाना उचित है।



  
उप खण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़

वाद-पत्र का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परिचय पत्र, वोटर आईडी कार्ड एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंभा से वादी का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध होना सिद्ध होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा स्वीकार किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि वादी का नाम निम्नलिखित तालिका में कॉलम संख्या 05 में अंकित अनुसार है जो वादी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076-2079 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में अंकन निम्नानुसार दुरुस्त किया जाए-

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	मींगणा	253	सत्यनारायण	सत्यप्रकाश

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्त जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2026 को लिखाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश वर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़ (चूरु)

**डिकरी व मुकदमा इत्यादि**  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानी)  
**(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)**

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़  
सत्यप्रकाश बनाम राज. सरकार  
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती  
मुकदमा न0 197 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु..... हाजरी .....एड.  
मिनजानिब मुद्दई ..... मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है  
कि दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी  
तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ की  
संवत् 2075-2078 के राजस्व रिकॉर्ड के निम्न ग्राम की प्रविष्टि में अंकन निम्न तालिका  
अनुसार दुरुस्त किया जाए-

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	(2)	(3)	(4)	(5)
01	मींगणा	253	सत्यनारायण	सत्यप्रकाश

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे।  
चीज ..... मुबलिंग ..... बाबत ..... फीसदी

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी  
महाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .....  
को अदा करे।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 03 वर्ष 2026



**हस्ताक्षर**  
**उप खण्ड अधिकारी**  
**सुजानगढ़**

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये